# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
## पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 295 / 2018

| प्रार्थीः— | बनाम | अप्रार्थीः— |
|---|---|---|
| 1. नेमाराम पुत्र श्री रेवतराम जाति गुर्जर निवासी बगडीनगर तह0 सोजत जिला पाली राज0। | | 1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली। |

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सांदू एवं श्री मनोज चौहान अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 10.09.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगडी चक—2 प0ह0 बगडी चक—2 में खसरा नम्बर 4429 व 4430 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.2300 हैक्टर बा0अ0 कृषि भूमि पिता व अन्य सह खातेदारान की नाम की संयुक्त खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिताजी का नाम सहवन से खेताराम पुत्र श्री रामलाल दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी के पिताजी का वास्तविक नाम रेवतराम पुत्र रामाराम है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 20.11.2017 को हो चुका हैं, जिससे प्रार्थी के पिता का रेवतराम पुत्र रामाराम दर्ज है। प्रार्थी के पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त कृषि भूमि में फौतेदगी म्यूटेशन व हकतर्कनामा का दस्तावेजात पंजीयन करवाना चाहते है, लेकिन नाम अशुद्धि के कारण उक्त कार्यवाही होने असम्भव हो चुका है। प्रार्थी के पिताजी का वास्तविक नाम रेवतराम पुत्र रामाराम ही है, जो पुराने राजस्व रेकर्ड व सम्वत् 2033 से 2052 के मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी प्रमाणित है। लेकिन स्लीप ऑफ पेन से प्रार्थी के पिताजी का नाम रेवतराम के बजाय खेताराम दर्ज हो चुका है। प्रार्थी के दादाजी रामाराम के कोई खेताराम नाम से संतान नही है। खेताराम नाम राजस्व में सहवन से दर्ज हुआ है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात परिचय पत्र, आधारकार्ड, परिवार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रेवतराम के नाम से दर्ज चले आ रहे तथा प्रार्थी के पिता के दस्तावेजात मे रेवतराम के नाम से बने हुए हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम के स्थान पर रेवतराम पुत्र रामाराम के नाम से शुद्धि किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादस्त कृषि भूमि सरहद मौजा बगडी चक—2 में स्थित है होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। अधिवक्तागण मय प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम के स्थान पर रेवताराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाव प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाव प्रा0 पत्र दिनांक 10.09.2020 को पेश कर प्रा0 पत्र में वर्णित बिन्दु 1 व 2 के तथ्यों को स्वीकार कर प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम के स्थान पर रेवतराम दर्ज किए जाने में कोई आपति नही होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत बगडी द्वारा जारी रेवताराम गुर्जर का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित जमाबन्दियॉं सम्वत् 2046–49, मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2033–52 की छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में सहखातेदार घीसुलाल पुत्र रामलाल, जाति गुर्जर निवासी भगजी की ढाणी, बगडीनगर, रतनाराम पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी निवासी भगजी की ढाणी, बगडीनगर का तस्दीक सुदा शपथ पत्र अधिवक्तागण प्रार्थी ने पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्तागण प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्तागण प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बगडी चक–2 प0ह0 बगडी चक–2 में खसरा नम्बर 4429 व 4430 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.2300 हैक्टर वा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खेताराम पुत्र रामाराम के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से रेवतराम पुत्र **रामाराम** जाति गुर्जर, सा0 बगडी चक–1 दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत सहखातेदारान रतनाराम व घीसूलाल के तस्दीक सुदा शपथ पत्रों मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2033 ये 2052 में प्रार्थी के दादा का नाम रामा वल्द भूरा दर्ज सुदा है। जमाबन्दी संम्वत 2046–49 में प्रार्थी के पिता का नाम खेता पि0 रामा दर्ज सुदा है। जमाबन्दी संवत 2042–45 में भी प्राथी के पिता का नाम खेता दर्ज सुदा है। किन्तु नामान्तरकरण संख्या 72 व 73 दिनांक 22.05.81 में कॉलम संख्या 11 में रेवत दर्ज है। जिससे प्रार्थी के पिता का सही नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 72 व 73 में सही रूप से दर्ज है किन्तु जमाबन्दी में इन्द्राज करने के दौरान रेवत के स्थान पर खेता दर्ज होने की संपुष्टी होती है। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा ग्राम बगडी चक–2 प0ह0 बगडी चक–2 में खसरा नम्बर 4429 व 4430 कुल खसरा 02 कुल रकबा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (...) राज

1.2300 हैक्टर बा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खेताराम पुत्र रामाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम की संपुष्टि हो जाने से रेवतराम पुत्र रामाराम, जाति गुर्जर, सा0 बगडी चक–2 दुरूरत प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगडी चक–2 प0ह0 बगडी चक–2 में खसरा नम्बर 4429 व 4430 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.2300 हैक्टर बा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खेताराम पुत्र रामाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम की संपुष्टि हो जाने से रेवतराम पुत्र रामाराम, जाति गुर्जर, सा0 बगडी चक–2 वास्तविक व सही नाम से दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner